प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र श्री मनफूल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4040/प्रो०अनु०(2)-286/2025 (बैठक दिनांक-21.01.2025), दिनांक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र श्री मनफूल, जो कान्हाहेडी, थाना-चरथावल, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। दिनांक 26.08.2000 को वादी का अभियुक्तगण से नाली को लेकर विवाद था। घटना से 01 दिन पूर्व ईश्वरचन्द की पत्नी ने राजवीर द्वारा की गयी छेड़खानी की शिकायत के विवाद के कारण अभियुक्त ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हथियारों एवं लाठी से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-168/2001, भा0द0वि0 की धारा-307, 302 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-01, मुजफ्फरनगर, के आदेश दिनांक 01.10.2002 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.10.2003 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 13.01.2025 तक अपरिहार 24 वर्ष, 04 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 31 वर्ष, 09 माह, 14 दिन की सजा भोग ली गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 13.01.2025 तक 63 वर्ष 08 माह 22 दिन है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97 दिनाक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराप समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी द्वारा पुनः अपराध करने का अवसर है। (3) बदी पुनः अपराध करने में सशक्त है। (4) बंदी के समयपूर्व रिहा होने पर पीड़ित परिवार के साथ अपराध किये जाने की प्रबल सम्भावना है। (5) बदी की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। तद्नुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 26.08.2000 को वादी का अभियुक्तगण से नाली को लेकर विवाद था। घटना से 01 दिन पूर्व ईश्वरचन्द की पत्नी ने राजवीर द्वारा की गयी छेड़खानी की शिकायत के विवाद के कारण अभियुक्तों ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हथियारों एवं लाठी से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

up.gov.in

सिद्धान्तों के आलोक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०स० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र मनफूल को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवीर (बन्दी संख्या-7899) पुत्र श्री मनफूल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-158/2026/536(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in